

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—54/2021 (2021/151) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कंचन पिता श्रीराम नट निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. डालचन्द आत्मज अमरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवर आत्मज अमरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल आत्मज प्यारचन्द खटोड़ निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पन्नालाल आत्मज रामा ढोली निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कानुलाल आत्मज प्यारा बैरवा निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित

1. अमरसिंह —

प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 59 में अकिंत आराजी संख्या 1871 रकबा 1.08 है०, भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 02.07.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 2, 4 उपस्थित एवं 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 3 पक्षीगण से प्रार्थीया अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार



अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीया खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहती है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 59 में अकिंत आराजी संख्या 1871 रकबा 1.08 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
14.9.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—54/2021 (2021/151) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कंचन पिता श्रीराम नट निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. डालचन्द आत्मज अमरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवर आत्मज अमरा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल आत्मज प्यारचन्द खटोड़ निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पन्नालाल आत्मज रामा ढोली निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. कानुलाल आत्मज प्यारा बैरवा निवासी तोलास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत


उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.09.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 59 में अकिंत आराजी संख्या 1871 रकबा 1.08 है०, भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।




14.9.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा